कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0/1609 /06–441–2015/2015 दिनांक: 09 मई, 2015

सेवा में,

प्रबंधक,
एम0एन0बी0 मेमोरियल महिला महाविद्यालय,
नसीरपुर मठ, कोटवा, नारायणपुर,
बलिया।

विषय : महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक **09.03.2015** के सन्दर्भ में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–975/79–1–14–1(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37 एवं 38 में किए गये संशोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अन्तरित/निहित किए जाने के फलस्वरूप सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या–2527/सत्तर–2–2008–2 (166) 2002 दिनांक 10 जून, 2008 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक **06.05.2015** की संस्तुति एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक **07.05.2015** के निर्णय के अधीन एम0एन0बी0 मेमोरियल महिला महाविद्यालय, नसीरपुर मठ, कोटवा, नारायणपुर, बलिया **को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शिक्षा संकाय संकाय में स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यकम में 100 सीटों (02 यूनिट)** की प्रवेश क्षमता सहित **प्रपत्र बी में इंगित कमियों यथा** एन0सी0टी0ई0 (रिकागनीशन नार्म्स एण्ड प्रोसीजर) विनियम 2014 के मानकानुसार अध्यापकों का अनुमोदन न होने, अनुमोदित विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण कराकर वेतन का भुगतान न होने, सामूहिक नकल में आरोपित न होने, प्रबन्ध समिति का अनुमोदन प्रक्रियाधीन होने एवं शपथ पत्र में इंगित अन्य कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2015 से दो वर्ष हेतु अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. एन0सी0टी0ई0 (रिकागनीशन नार्म्स एण्ड प्रोसीजर) विनियम 2014 को स्वीकार करने एवं उसके मानको को 31 अक्टूबर, 2015 तक पूर्ण करने के लिए दिये गये शपथ पत्र के आलोक में मानक पूर्ण होने के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 द्वारा संशोधित पत्र/आदेश निर्गत होने के उपरान्त तदनुसार अंतिम रूप से छात्र संख्या (यूनिट) का निर्धारण किया जायेगा।
2. **संस्था द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदित बी0एड0 विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण कराकर शिक्षण कार्य कराया जायेगा एवं उन्हे सीधे बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**
3. **संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 37 (2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।**
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को **15 अगस्त तक** इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तण पूरी कर रहा है।
5. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यकम में अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार शैक्षिक सत्र हेतु होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
6. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को सम्यक रूप से पूर्ण करेगी और उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी।
7. **महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशो एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।**
8. **रिट याचिका सं0–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2 (650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।**

.....2

प्रबन्धक
एम०एन०बी०मेमोरियल महिला महाविद्यालय
नसीरपुरमठ, बलिया (उ०प्र०)